न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 123/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 घनश्याम पुत्र गिरधारी लाल पारीक जाति पारीक उम्र करीब 58 वर्ष निवासी चौमूं पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 श्रीमती सुगनी पत्नी गीदाराम।
2 भंवरलाल पुत्र गीदाराम।
3 गोकुल पुत्र गीदाराम।
4 सन्तरा पुत्री गीदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये सहायक अभियंता खाटूश्यामजी हाल कार्यालय रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 20.10.2015
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला
जिला सीकर जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा संख्या 38/2013 उनवानी घनश्याम बनाम
गीदाराम व अन्य खारिज किया गया

उपस्थित

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश चन्द्र पारीक अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 28-12-18

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 38/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 155,156 वाके ग्राम चौमु पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर

प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है रेस्पोडेंट ने विभाजन करवाये बिना अजनबी केता को अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। दावा अभी लम्बित है आर. आर.डी. 1996 पेज 148 के अनुसार अजनबी केता सह काश्तकारी की भूमि में प्रवेश नही कर सकता है दावे के निर्णय तक उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 09.07.2008 को विक्रय पत्र निस्पादित हुआ है अप्रार्थी संख्या 5 के विद्युत कनेक्शन को रूकवाने के लिए दावा व टी.आई. पेश किया है। अजनबी का नाम लेकर सदभावी केता को पाबंद नही किया जा सकता है विधि अनुसार सह काश्तकारी में विशेष भू–भाग का विक्रय नही हो सकता हिस्से का बेचान करने पर कोई पाबंदी नही है। विचारण न्यायालय ने तथ्यों का सम्पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि सह काश्तकारी की है उभयपक्ष ने विवाद इस बिन्दु को लेकर है कि सहकाश्तकारी की भूमि में विभाजन से पूर्व विक्रय किया जा सकता है या नहीं यह न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि सहकाश्तकारी की भूमि में विभाजन से पूर्व कोई भी पक्षकार अपने हिस्से का विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु विशेष भू–भाग का विक्रय नही किया जा

Lavio

सकता है। विभाजन से पूर्व हिस्सा विक्रय करने की स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि " एक सह कृषक द्वारा कोई निश्चित भू–भाग का विक्रय कर देने के पश्चात एंव क्रयकर्ता को आराजी में प्रवेश कर लेने के पश्चात भी उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।" अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में दावे के निर्णय तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। वर वक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कथन किया है कि अपीलांट द्वारा विद्युत कनेक्शन को रूकवाने की नियत से यह आवेदन प्रस्तुत किया है। इस सन्दर्भ में हमारा स्पष्ट अभिमत है कि विद्युत कनेक्शन भूमि सुधार की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक विवादित भूमि खसरा नम्बर 155, 156 वाके ग्राम चौमु पुरोहितान की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पांबद किया जाता है किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि यह स्थगन विवादित भूमि विद्युत कनेक्शन पर लागु नही होगा। इसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-12-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर